

अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में हुई डा. संजीव ठाकुर की नियुक्ति पर उठे सवाल

शिमला/शौल। जयराम सरकार ने हमीरपुर स्थित प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भाजपा के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के संगठन मन्त्री डा. संजीव ठाकुर को बतौर सदस्य नियुक्ति दी है। डा. ठाकुर आरएसएस के एक प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ता हैं। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। संघ के प्रति अपने समर्पण के कारण ही डा. ठाकुर ने एक दिन भी सरकारी नौकरी नहीं की है और इसी कारण से पार्टी ने उन्हें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के संगठन मन्त्री का दायित्व दिया था। भाजपा में संगठन मन्त्री और अध्यक्ष के पदों की अहमियत एक बराबर रहती है। संगठन मन्त्री पद का किताबा प्रभाव होता है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जयराम सरकार को सबसे पहले चारों संसदीय क्षेत्रों के संगठन मन्त्रियों संजीव कटवाल, पुरुषोत्तम गुलेरिया, शिशु धर्मा और अब डा. संजीव ठाकुर को ताजपोशीयां देनी पड़ी है जबकि अन्य कार्यकर्ताओं के लिये तो यह कह दिया कि अभी ऐसी नियुक्तियों की कोई शीघ्रता नहीं है।

हर राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने पर अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न अवसरों में ताजपोशीयां देती है और इसमें किसी को कोई एतराज भी नहीं रहता है केवल अपनी पार्टी के अन्दर ही कार्यकर्ताओं में ऐसी ताजपोशी के लिये दौड़ रहती है। इसलिये जब संजीव कटवाल, पुरुषोत्तम गुलेरिया, शिशु धर्मा, धर्मानि और जमवाल तथा डा. पुंडेर की नियुक्ति हुई तो कहीं से भी नियम प्रक्रिया और राजनीतिक नैतिकता को नजरअन्दाज किये जाने के कोई आक्षेप नहीं उठे लेकिन जब डा. रचना गुप्ता की लोकसेवा आयोग में नियुक्ति हुई तब पहली बार सरकार के फैसले पर उगलियां उठीं और अब वैसी ही स्थिति डा. संजीव ठाकुर को इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त किये जाने पर उठ खड़ी हुई है। डा. ठाकुर की नियुक्ति को लेकर सरकार की नीयत और नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं इसके लिये बोर्ड के कार्य और इस नियुक्ति के साथ जो कुछ और

घटा उस पर नजर डालना आवश्यक है। स्मरणीय है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जिम्मे क्लास थ्री और क्लास फोर के कर्मचारियों की भर्ती करना है। इस चयन की एक लम्बी प्रक्रिया रहती है इसलिये अलग बोर्ड का गठन किया गया था। परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक काफी काम रहता था लेकिन अब केन्द्र सरकार ने इन पदों की भर्ती के लिये परीक्षा और साक्षात्कार दोनों को ही समाप्त कर दिया है। अब यह चयन प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता की मैरिट के आधार पर ही होगा और इस तरह ऐसे चयन में सिफारिश और पक्षपात की संभावनाओं की कोई गुंजाईश ही नहीं रह जाती है। यदि किसी की मैरिट को नजरअन्दाज किया जाता है तो वह इसकी जानकारी आरटीआई में ले सकता है। केन्द्र का यह फैसला प्रदेशों पर भी लागू है। वीरभद्र सरकार इस आशय के प्रस्ताव तीन बार

मन्त्रीमण्डल की बैठकों में लायी थी। परन्तु किन्हीं कारणों से यह फैसला टलता रहा। लेकिन अब सरकार ने केन्द्र में इस फैसले पर अमल करते हुए अभी कुछ दिन पहले ही कुछ साक्षात्कार रद्द किये हैं। केन्द्र के इस फैसले पर पूरी तरह अमल होना ही है और इस अमल के बाद हमीरपुर बोर्ड के पास भी कोई बड़ा काम नहीं बचेगा। बल्कि जो काम शेष रहेगा वह केवल प्रशासनिक स्तर का ही होगा और उसे तो संबंधित विभाग अपने स्तर पर ही अच्छे से निपटा लेगा। इसलिये अब व्यवहारिक रूप से इतने भारी - भरकम बोर्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लेकिन इस सरकार ने इस व्यवहारिक पक्ष की ओर ध्यान दिये बिना ही इसमें सदस्य की नियुक्ति कर दी।

इसी के साथ इस नियुक्ति से पहले यहां पर वीरभद्र सरकार के समय लगाये गये चेयरमैन प्रो. झारटा को

हटाया गया। प्रो. झारटा ने इस नियुक्ति के बाद हिमाचल विश्वविद्यालय से वांछित छुट्टी ले रखी थी और विश्वविद्यालय प्रबन्धन ने वाकायदा उन्हें छुट्टी दे रखी थी। लेकिन अब उसी प्रबन्धन ने विश्वविद्यालय में अध्यापकों की कमी होने का तर्क देकर उनकी छुट्टी रद्द करके उन्हें वापिस बुला लिया। लेकिन प्रबन्धन ने जिस बैठक में प्रो. झारटा की छुट्टी रद्द की उसी बैठक में उसी समय प्रो. नड्डा को वैसी ही छुट्टी प्रदान कर दी क्योंकि प्रो. नड्डा केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा के सगे भाई हैं। प्रो. झारटा से पहले प्रो. एसपी बंसल भी विश्वविद्यालय से ऐसी ही छुट्टी पर हैं लेकिन प्रबन्धन ने उनकी छुट्टी रद्द करके उन्हें तो वापिस नहीं बुलाया इस तरह डा. संजीव ठाकुर को बोर्ड में नियुक्त करने के लिये पद का प्रबन्ध किया गया। लेकिन इसपर विश्वविद्यालय की अपनी कार्यप्रणाली पर तो ऐसे सवाल

उठ खड़े हुए हैं जो कि एक शैक्षणिक संस्थान के भविष्य के लिये किसी भी गणित से सही नहीं ठहराये जा सकते क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रबन्धन में शीर्ष पर महामहिम राज्यपाल आते हैं और इस तरह के फैसलों की छाया सिधे उन पर पड़ती है।

इसी परिदृश्य में डा. संजीव ठाकुर की बोर्ड में हुई नियुक्ति सरकार के लिये अनचाहे ही एक ऐसा सवाल बन जाती है जिसका कोई भी जवाब नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस संस्थान के पास आगे चलकर कोई विशेष काम रहने वाला ही नहीं है उसमें ऐसे नियुक्ति किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्योंकि बोर्ड के पास पर्याप्त काम रखने का अर्थ होगा कि यह सरकार की वीरभद्र सरकार की तरह केन्द्र को फौसले पर अमल करने से पीछे हट जाये और इन पदों की भर्तियों में परीक्षा और साक्षात्कार की व्यवस्था को बनाये रखे।

बीजेपी के सीएम फेस धूमल को हराने वाले राणा के जयराम सरकार पर संगीन इल्जाम

हमीरपुर/शौल। विधानसभा चुनावों में भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने उनके चुनावी हलके में पूर्व की वीरभद्र सरकार की ओर से शुरू किए विकास के कामों को रोक देने का जयराम सरकार पर संगीन इल्जाम लगाया है। राणा ने हमीरपुर में अपने इल्जामों को मजबूती देने की खातिर मोडिया से रूबरू होकर ऐसे कामों की एक सूची भी जारी की। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विस क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार ने करोड़ों रूपए के विकास कार्य शुरू किए।

बीजेपी सरकार बनते ही 69.75 लाख से बनने वाली तपाहल मंडेहतर सड़क का काम 15 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। ऊहल मेन 1.62 करोड़ रूपए से बन रहे रेस्ट हाउस का टेंडर रद्द कर दिया गया। राणा ने

कहा कि 5 करोड़ से बनने वाली जट्टा दी घार - थाना टिककर सड़क व 2.47 करोड़ रूपए से बनने वाली धैल - नागलबंर सड़क के टेंडर भी बीजेपी सरकार के आते ही रद्द कर



दिए गये। इसी तरह से सुजानपुर टाउन हाल, अस्पताल आवासीय भवन, जैसे कामों के टेंडर भी रद्द कर दिए गये। सुजानपुर में बीजेपी हार का बदला लेने के लोगों को तंग कर रही है।

राजेंद्र राणा ने कहा कि जिन बुधों पर बीजेपी पिछड़ी है वहाँ पाँच - पाँच दिन बाद पानी की सप्लाई मिल रही है।

कभी धूमल के सखा रहे राणा

ने कहा लोग चुप नहीं बैठेगे बल्कि अगले साल हो रहे लोक सभा चुनाव में भी सुजानपुर के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की

जयराम सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। बीजेपी अगर मंजूर विकास कार्यों में अडंगा लगाती है तो सुजानपुर की जनता सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेगी। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा के लोग सरकार व विभागों के अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना कर पूर्व सरकार के समय अवार्ड हुए टेंडर रद्द करवा रहे हैं। इससे सुजानपुर के लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता पर काबिज हुई है तब से सारे विकास कार्य बाधित पड़े हुए हैं। अपने को लाभ देने के लिए शुरू हो चुके कामों में भी अडचन डाली जा रही है। समय आने पर ऐसे नेताओं के नाम भी उजागर किए जाएंगे।

अमृत के तहत शिमला योजना क्षेत्र की बैठक आयोजित प्रदेश में बड़ा मौक़ा अभ्यास आयोजित

शिमला/शैल। अटल मिशन फॉर रैयुनिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के अंतर्गत शिमला योजना क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित विकास योजना को तैयार करने के लिए आरम्भिक बैठक एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

नगर एवं ग्राम नियोजन के निदेशक राजेश्वर गोयल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने शिमला तथा कुल्लू शहरों को अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल किया है जबकि धर्मशाला तथा शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन तथा औट, हिन्टर तथा सांगला-कमरू को ग्रामीण मिशन के अंतर्गत लाया है। उन्होंने कहा कि विभाग को शिमला के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग इस कार्य को सबसे कम बोलीदाता एवं निजी परामर्शी मैसर्स मास प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज अहमदाबाद के माध्यम से पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 11 अक्टूबर,

2017 को अवार्ड पत्र जारी किया गया है जबकि अनुबंध समझौता 04 जनवरी, 2018 को हस्ताक्षरित किया गया।

गोयल ने कहा कि हिमाचल देश के उन शोर्ष 6 राज्यों में शामिल है



जिन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएसई) हैदराबाद को अपनी डिजिटल साइटों सौंपी है। इस सेंटर द्वारा शिमला शहर के लिए मूल खाका तैयार किया जा रहा है, जो एक माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को जमीन के नीचे से बिजली की तारें, पानी व मल निकासी

लाईनों आदि के लिए 'डक्ट' बनाने पर अपने सुझाव एक माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा, क्योंकि शिमला के लिए जीआईएस आधारित विकास योजना के निर्माण के लिए 15 माह की समयसीमा दी गई है। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने तथा सुविधा के लिए सभी सम्बद्ध विभागों में एक नोडल अधिकारी की

नियुक्ति करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिमला शहर का चयन अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन में किया गया है इसलिए इन दोनों कार्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

राज्य नगर नियोजक इंजीनियर संदीप शर्मा ने कहा कि शिमला तथा कुल्लू शहर अमृत योजना के तहत चयनित किए गए 500 शहरों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मददगार सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति, सौरजल सुविधाओं तथा उनके प्रबंधन, नालियों, पंचल रस्तों, गैर-सौटर एवं जन परिवहन सुविधाओं और पार्किंग स्थलों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शहरों में हरित स्थलों, पार्क, बच्चों के लिए मनोरंजन केन्द्र विकसित एवं स्वस्थान बनाने से सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

शिमला नगर नियोजक अंजलि शर्मा ने कहा कि शिमला योजना क्षेत्र का गठन नवम्बर 1977 में किया गया था तथा अन्तरिम विकास योजना को 1979 में अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि शिमला विकास प्राधिकरण का गठन अन्तरिम विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए 1983 में किया गया था और तब से इस योजना में लगभग 34 संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के तहत शिमला योजना क्षेत्र में नगर निगम शिमला के अतिरिक्त कुफरी विशेष क्षेत्र, शोधी विशेष क्षेत्र, घनाहड़ी विशेष क्षेत्र तथा अतिरिक्त योजना क्षेत्र का कुल 22450 हेक्टेयर क्षेत्र आता है जिसमें 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2,32,900 की आबादी है।

मै. मास कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना निदेशक ने अमृत मिशन के तहत शिमला के लिए जीआईएस आधारित विकास योजना के निर्माण पर प्रस्तुति दी। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को तय सीमा के भीतर विकास योजना तैयार करने के लिए जानकारी प्रदान व सांझा करने का आग्रह किया।

बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुरेश अवस्थी
सुरेश ठाकुर
रीना
सीता

शिमला/शैल। हिमाचल राज्य प्राकृतिक व मानव दोनों प्रकार की विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। मुख्य आपदाओं में भूकम्प, भूस्खलन, अचानक बाढ़, बर्फ के तूफान, हिमस्खलन, सूखा, बांध टूटना, बस्तियों तथा जंगलों में आगजनी की दुर्घटनाएं, सड़क, रेल, वायु, भगदड़ व नाव पलटने आदि की दुर्घटनाओं के



अलावा जैविक, ओद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। हालांकि प्रदेश को सबसे अधिक खतरा भूकम्प आपदा से है। इतिहास पर यदि नजर डालें तो प्रदेश में 120 बार 4.0 रिक्टर स्केल और उससे ऊपर की तीव्रता के भूकम्प आ चुके हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भूकम्पीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार वर्ष 2017 तक प्रदेश के पांच जिलों चम्बा (53.2 प्रतिशत), हमीरपुर (90.9 प्रतिशत), कांगड़ा (98.6 प्रतिशत), कुल्लू (53.1 प्रतिशत) और मण्डी (97.4 प्रतिशत) में 53 से 98.6 प्रतिशत क्षेत्र एमएसके 9 या उससे अधिक तीव्रता के अंतर्गत आते हैं जबकि इन जिलों के शेष क्षेत्रों में भूकम्प की तीव्रता 8 है। दो जिलों बिलासपुर (25.3 प्रतिशत) तथा ऊना (37.0 प्रतिशत) में एमएसके 9 तथा बाकी एमएसके 8 की तीव्रता है। शेष जिलों में भी तीव्रता आठ है।

एनडीएमए, आईआईटी मुम्बई, आईआईटी मद्रास तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 2012 में विकसित परिदृश्य एमडब्ल्यू 8.0 भूकम्प हिमालय क्षेत्र में आने वाला भारी भूकम्प है। यह काल्पनिक परिदृश्य आईआईटी मुम्बई तथा मद्रास से भूकम्प इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की एनडीएमए टीम द्वारा वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान व आईएमडी के भूगर्भ विभाग व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ परामर्श से विकसित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले के सुन्दरनगर, जो भूकम्पीय क्षेत्र-पांच में आता है, में काल्पनिक भूकम्प हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर तथा केन्द्र शासित राज्य चण्डीगढ़ में भारी भूकम्प के झटका के पूर्वानुमान को दर्शाता है।

इस प्रकार की बड़ी मौक़ा ज़िल पूर्व में 2012, 2014 तथा 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय में सहयोग से की जा चुकी है। वर्तमान में भूकम्प आपदा पर आयोजित किया जा रहा यह मौक़ा ज़िल पूर्व के सभी मौक़ा ज़िलों से बड़ा है तथा इसमें सभी 12

जिलों, शिक्षण तथा तकनीकी संस्थानों तथा सरकारी विभागों को शामिल किया गया है और इस प्रकार यह मौक़ा ज़िल पूरे प्रदेश में आयोजित की गई।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की देख-रेख में मौक़ा ज़िल सफलतापूर्वक पूरी की गई।

इसके लिए पूर्व अभ्यास व समन्वय सम्मेलन 1 फरवरी, 2018 को हिमाचल

प्रदेश सचिवालय में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के विभागों के 135 अधिकारी, जिला प्रशासन, भारतीय सेना के प्रतिनिधि, अधिसैनिक बलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सेवानिवृत्त लैफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मरवाह, एनडीएमए के वरिष्ठ परामर्शी, सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के.नाईक ने भी सम्मेलन में भाग लिया और मार्गदर्शन किया।

मुख्य सचिव विनोद चौधरी की अध्यक्षता में 7 फरवरी, 2018 को टेबल टॉप अभ्यास किया गया, जिसमें राज्य घटना प्रतिक्रिया दल के सदस्य शामिल हुए। भारतीय सेना के पर्यवेक्षकों, आते हैं जबकि इन जिलों के शेष क्षेत्रों में भूकम्प की तीव्रता 8 है। दो जिलों बिलासपुर (25.3 प्रतिशत) तथा ऊना (37.0 प्रतिशत) में एमएसके 9 तथा बाकी एमएसके 8 की तीव्रता है। शेष जिलों में भी तीव्रता आठ है।

प्रदेश में बड़ा मौक़ा अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें सभी 12 जिले शामिल हुए। अभ्यास को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत भूकम्प आपदा से आम लोगों को जागरूक करने के लिए 80 हजार प्रचार पुस्तिकाएं वितरित की गईं।

परिचामी कमल के सेना तथा भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधियों ने भी इसमें तत्परता से भाग लिया तथा आपदा प्रतिक्रिया ऑपरेशन के दौरान समन्वय के मामलों पर चर्चा की गई। सेना, अधिसैनिक बल, आईटीबीपी, एनडीआरएफ दलों ने मौक़ा अभ्यास में भाग लिया। इसके अलावा जिला स्तरों जिनमें पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षक आदि भी इस काल्पनिक अभ्यास में शामिल हुए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सेवानिवृत्त लैफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मरवाह तथा एनडीएमए के वरिष्ठ परामर्शदाता सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के.नाईक के सहयोग व मार्गदर्शन से मौक़ा ज़िल के आयोजन में बड़ी सहायता मिली।

शहीद अशोक कुमार के परिजनों को पूर्व मुख्यमंत्री ने घर पहुंच कर दी सांत्वना

हमीरपुर/शैल। सुजानपुर विस क्षेत्र के गाँव सेनुआ दी याती गाँव के एक और वीर जवान ने देश की रक्षा के लिए तैनाती के दौरान अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शहीद अशोक कुमार के शोक सम्पन्न परिजनों से मुलाकात करने पूर्व

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल गाँव में उनके घर पहुंचे। प्रो. धूमल ने शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए संकट की इस घड़ी में परमात्मा से शोकग्रस्त परिवार को इस मुश्किल घड़ी का सामना करने की हिम्मत देने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री का नितिन गडकरी से 487 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की तथा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मंत्रालय को भेजे गए 487 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा और सामग्री ढोने के लिए रज्जू मार्गों की स्थापना की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे राज्य में पर्यटन विकास में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने सी-प्लेन की सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाशने का भी अनुरोध किया, क्योंकि प्रदेश में हवाई पट्टियां छोटी हैं, जहां पर बड़े जहाज नहीं उतर सकते।

उन्होंने मंत्रालय से 430 करोड़ रुपये की लागत से 43 किलोमीटर लम्बी हाथीथान-मणीकरण-पुलगा सड़क के निर्माण, 1380 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 138 किलोमीटर लम्बी रोहडू-जागला-सुगली-तकलेच-सराहन-ज्यूरी सड़क तथा 500 करोड़ रुपये की

लागत से बनने वाली 50 किलोमीटर लम्बी चण्डीगढ़-करोड़-टाण्डा-प्रेमपुरा-पपोल्ला-शिल्लूकुद-जमरोज-कसौली-धर्मपुर सड़क के निर्माण के लिए भी



स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों के समय पर रख-रखाव के लिए पर्याप्त राशि के आवंटन का आग्रह किया तथा कहा कि इस वर्ष 266.465 किलोमीटर लम्बी सड़कों के लिए मांगे गए 102.03 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 24 करोड़ रुपये की

राशि आवंटित की गई है।

उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए वर्ष 2018-19 के चरण-2 के कार्यक्रम, जिनमें एनएच 305 पर सड़क सुरक्षा कार्य, जलोढ़ी पास में सुरंग तथा हमीरपुर-मण्डी सड़क शामिल हैं, के लिए 1200 करोड़ रुपये की शीघ्र स्वीकृति के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंत्रालय को 41.50 किलोमीटर लम्बी घुमारवीं-सकाशाट सड़क तथा 39.20 किलोमीटर रानीताल-कोरला सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने की अन्तिम अधिसूचना के लिए पूर्ण मामला भेज दिया है।

केन्द्रीय मंत्री ने सभी मार्गों को गम्भीरता से सुना तथा हिमाचल प्रदेश में विकासवात्मक कार्यों के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति से की जाएगी दालों की खरीद:किशन कपूर

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय खरीद समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों की दूकानों से उपलब्ध करवाई जाने वाली दालों, खाद्य तेलों तथा आयोडाइज्ड नमक खरीदने पर चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों की दूकानों से गुणात्मक दालें इस माह भारत सरकार को उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति से खरीदी जाए। यह संस्था देशभर में उचित मूल्यों पर गुणात्मक दालें उपलब्ध करवाने के लिए प्रसिद्ध है। संस्था द्वारा एमएबीएल की प्रयोगशाला से दालों की जांच करवाने के उपरान्त ही आपूर्ति की जाती है।

किशन कपूर ने कहा कि इस संस्था से दालें खरीदने से जहां उपभोक्ताओं को गुणात्मक दालें उपलब्ध होगी वहीं निगम को भी पूर्व में खरीदी गई दालों की अपेक्षा इस संस्था से कम

मूल्य पर दाल उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेशभर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में दाल चना जो 6714 रुपये प्रति विन्टल पड़ रहा था, अब 5300 रुपये, उड़द साबत 5130 रुपये के बजाय 4800 रुपये, मूंग साबत 5959 रुपये के बजाय 6200 रुपये जबकि अनार 4860 रुपये प्रति विन्टल के स्थान पर 4800 रुपये की दर से खरीदी जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार को 2.63 करोड़ रुपये की बचत होगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि खाद्य तेलों तथा नमक की खरीद अनुमोदित दरों पर पहले से ही प्रक्रियाधीन आपूर्ति आदेशों के अनुसार की जाएगी। दालों की खरीद का मामला सरकार को उपयुक्त निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, प्रबन्धन निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम डॉ. एस.एस. गुलेरिया, महा प्रबन्धक पटियाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की उद्यमों के वर्गीकरण के निर्णय के लिए केन्द्र की सराहना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सालाना कारोबार के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभ पहुंचेगा बल्कि अब उनकी अपनी क्षमता के आधार पर भी इनका उचित वर्गीकरण किया जा सकेगा। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण का पारदर्शी उद्देश्य है और यह उद्यमों के संचालन के स्तर को दर्शाता है ताकि उद्यमी बिना किसी भेदभाव के वह रियायतें व सुविधाएं पा सकें जिसके लिए वे पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मेरा मानना है कि यह निर्णय व्यापार करने में सरलता लाएगा। इस निर्णय से विशेष तौर से जीएसटी के लागू होने के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं इस निर्णय से इस क्षेत्र में और अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उद्यमियों के लिए उदारवादी मानदण्डों को भी स्थापित किया गया है।

अब पांच करोड़ रुपये अथवा इससे

कम कारोबार के उद्यम को सूक्ष्म उद्यम के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार, पांच करोड़ रुपये से अधिक तथा 75 करोड़ रुपये तक के कारोबार के उद्यम को लघु उद्यम तथा 75 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले उद्यम मध्यम उद्यम की श्रेणी में आएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उद्यमियों को स्वयं को साबित करने के लिए कठिन औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब कम्पनियों एक विशेष कारोबार सीमा हासिल करने के पश्चात् अपने आप एक उचित स्थान तक ले जा सकेंगे। इस निर्णय से अवांछित औपचारिकताओं तथा जांच को रोकने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने केन्द्रीय बैंक के निर्णयों की भी सराहना की तथा नॉन परफार्मिंग ऐसैट (एनपीए) की अवधि में शामिल करने से पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कर्ज चुकाने की अवधि को वर्तमान के 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की भी सराहना की। इस निर्णय से कम्पनियों को कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा तथा उद्योग क्षेत्र में और अधिक वित्तीय उदारता आएगी। इस निर्णय

से मार्किट में लिक्विडिटी में वृद्धि होगी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के और अवसर प्रदान करने की सोच को बढ़ावा मिलेगा। आमतौर पर भारत में बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम लोन एकाउंट को 90 दिनों तथा 120 दिनों के दोष नियमों के आधार पर नॉन परफार्मिंग ऐसैट (एनपीए) को परिभाषित करते थे।

केन्द्र सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इस पहल से औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उद्यमियों को प्रदर्शन करने के लिए सामान्य तौर पर दी जाने वाली 90 दिनों की अवधि बहुत कम है। उन्होंने आशा जताई कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी तथा दिए जाने वाले पैकेज व छूट की अवधि को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार में उद्योग क्षेत्र में अपार प्रगति हुई तथा राज्य प्रगति के साथ-साथ रोजगार में भी 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

केन्द्रीय मंत्री से गगरेट तथा संसारपुर टैरिस में ईएसआई अस्पताल खोलने का आग्रह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु से गगरेट तथा संसारपुर टैरिस में ईएसआई अस्पताल खोलने का आग्रह किया है ताकि क्षेत्र के औद्योगिक कामगारों व स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बिक्रम सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गगरेट औद्योगिक चेन अंब, गगरेट, टालीवाल व महतपुर क्षेत्र का हिस्सा है, जहां पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की 36 इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में 250 से अधिक मध्यम तथा बड़े उद्यमों में उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के 15000 कामगारों को स्वास्थ्य सुविधा उपचार के लिए चण्डीगढ़ जाना पड़ता है, इसी प्रकार, संसारपुर टैरिस क्षेत्र में स्थापित 30 औद्योगिक इकाइयों में 3000 कामगार कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त अनेक निजी प्रतिष्ठानों और 30 पंचायतों की 35 हजार जनसंख्या भी इसकी परिधि में आती है। उन्होंने कामगारों तथा क्षेत्र के गरीब लोगों को

सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कम से कम 50 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल स्थापित करने का आग्रह किया।

बिक्रम सिंह ने 'मेक इन हिमाचल' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे उद्यमों के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। 2013 में अधिसूचित योजना के अनुसार नए उद्यमों और पूर्व में स्थापित उद्यमों के वित्तन के लिए केन्द्रीय भाड़ा अनुदान, केन्द्रीय पूंजी निवेश अनुदान आरम्भ किए थे, जिनमें सीजीएसटी का 50 प्रतिशत वापसी टर्म ऋणों में अनुदान व क्रियाशील पूंजी व आयकर छूट शामिल है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज, छूट व सुविधाएं शीघ्र तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में दिए गए पैकेज के चलते औद्योगिक क्षेत्र ने अभूतपूर्व उन्नति की है, जिससे प्रदेश ने निवेश में 88 प्रतिशत तथा रोजगार में 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

स्वास्थ्य मंत्री तथा वन मंत्री बोले पहले से विचाराधीन थे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार तथा वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि हाल ही में किए जा रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पहले से ही राज्य सरकार के विचाराधीन थे, और इन तबादलों पर प्रशासनिक व नीतिगत औपचारिकताओं से संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के उपरान्त ही फैसला लिया गया है। हालांकि, मंत्रिमण्डल की बैठक में सामान्य तबादलों पर रणज से संबंधित निर्णय को पूरी तरह से लागू किया गया है और किसी भी तबादले में अब मुख्यमंत्री की अनुसंधान लेना अनिवार्य है।

परमार व ठाकुर ने कहा कि राज्य के जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों के सामान्य सेवाकाल की अवधि पूरी होने पर उनका तबादला किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय, सब-कैड व कठिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सेवाकाल पूर्ण होना, चिकित्सा आपात अथवा अन्य प्रकार की मानवीय आधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ऐसे में कर्मचारी के तबादले पर फैसला लेना सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। यही नहीं, एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों का तबादला करना प्रशासनिक आवश्यकता है और जनहित में अनिवार्य भी है। इसके अलावा, न्यायालयों से जुड़े मामलों व दिव्यांगजनों के तबादलों संबंधी आदेशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति की दहलीज पर अधिकारियों/कर्मचारियों को यथासंभव उच्च जिले में रिक्त पद पर समीपवर्ती स्टेशन उपलब्ध करवाना तथा दंपति मामले में तबादलों पर सकारात्मक रवैया अपनाना

भी दिशा-निर्देशों व नीति का हिस्सा है। ऐसा पिछली सरकार के समय में भी होता रहा है और बेवजह इस मुद्दे को उछालना सही नहीं है।

मंत्रियों ने कहा कि सामान्य तबादले नहीं किए जा रहे हैं और अत्यावश्यकता वाले मामलों में प्रशासनिक सचिवों को मुख्यमंत्री की अनुसंधान प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य समाज की सेवा करना है और इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। आम जनमानस की शिकायतों का समाधान करना तथा विकास कार्यों में गति लाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और अधिकारियों व कर्मचारियों को जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के लिये निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए।

प्रदेश की अफसरशाही वीरभद्र सिंह के इशारे पर चल रही : गोपाल दास वर्मा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ाई जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रदेश अराजकप्रति कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम से कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे क्या कारण है ऐसा लगता है कि प्रदेश की अफसरशाही अभी भी वीरभद्र सिंह के इशारे पर चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कहा से खतरा बढ़ गया है। वर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा तुरन्त वापिस ली जाये, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को शान्ति शोकत में रहना पसंद है तभी तो विधानसभा चुनाव से पूर्व भी कांग्रेस

सरकार पूर्व मुख्यमंत्रीयों को सुरक्षा में एक एम्बुलेंस पार्सलट और जैड सुरक्षा करने का प्रस्ताव ला रही थी। पूर्व कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के विरोध के बावजूद वीरभद्र सिंह ऐसा नहीं कर सकते थे।

वर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से यह भी मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एजेट अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से तुरन्त हटाए क्योंकि भाजपा की सरकार बनने पर कुछ अधिकारी जुगाड़ करके महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए थे। वर्मा ने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की है कि जिस पुलिस अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ाने के लिये लिखा था उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

अवैधताओं के आगे घुटने टेकती सरकार



जयराम सरकार ने प्रदेश में हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर एनजीटी तक से आये फैसलों पर यथा निर्देशित कारवाई करने के स्थान पर इन लोगों को राहत देने के लिये इस कानून में ही संशोधन करने का फैसला लिया है। इस

प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक जितना निर्माण अवैध पाया जायेगा उसे ही सील करके केवल उसी के खिलाफ कारवाई की जायेगी। सरकार के इस फैसले से अवैध निर्माण के दोषियों के खिलाफ फिलहाल कारवाई रूक गयी है। क्योंकि अदालत तो केवल कानून के मुताबिक फैसला ही दे सकती है। परन्तु उस पर अमल करते हुए दोषियों को व्यवहारिक रूप में सजा देने की जिम्मेदारी तो प्रशासनिक तन्त्र की ही होती है। यदि प्रशासन स्वार्थों से बन्धे राजनीतिक नेतृत्व के आगे घुटने टेकते हुए किसी न किसी बहाने अदालत के फैसलों पर अमल न करे तो अदालत क्या कर सकती है। संभवतः आज प्रदेश में व्यवहारिक रूप से यही स्थिति बनती जा रही है। इसमें भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अवैधता को संरक्षण देने के लिये कानून में ही संशोधन कर नया रास्ता अपनाया जा रहा है और यह काम वह मुख्यमन्त्री करने जा रहा है जिसकी स्लेटे अब तक साफ थी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद जयराम ठाकर अवैधताओं के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।

आज पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। शीर्ष अदालतों ने इन अवैधताओं का कड़ा सज्जन लेते हुए इसके खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने तो अवैध कब्जाधारकों को विराम मनीलांरिंग के तहत कारवाई करने तक के आदेश दे रखे हैं। लेकिन यह आदेश आज तक अमली शक्ति नहीं ले पाये हैं। इसी तरह एनजीटी की सील क्षेत्र में बने होटलों में हुए अवैध निर्माण का कड़ा सज्जन लेते हुए टीसीपीपी और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कुछ सेवानिवृत्त और कुछ वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को चिन्हित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश पारित किये हुए हैं। जिन पर न तो पूर्व मुख्य सचिव वीसी फारखा और न ही वर्तमान मुख्य सचिव विनित चौधरी कारवाई करने का साहस कर पाये हैं क्योंकि इन चिन्हित हुए नामों में एक नाम प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियन्ता प्रवीण गुप्ता का रहा है और जयराम सरकार ने प्रवीण गुप्ता की पत्नी डा. रचना गुप्ता को सत्ता संभालते ही लोकसेवा आयोग में पद सृजित करके सदस्य नियुक्त किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार भी इस संदर्भ में कोई कारवाई करने की बजाये कानून में ही संशोधन करके सारी अवैधताओं को राहत पहुंचाने का रास्ता निकालने का प्रयास करने जा रही है। अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों दोनों ही मुद्दों पर कानून में संशोधन किया जा रहा है। अवैध कब्जों को लेकर लायी जा रही संशोधित नीति पर उच्च न्यायालय ने कह रखा है कि यदि इस नीति को अदालत में चुनौती दी जाती है तो अदालत इस पर विचार करेगी। इसी पृष्ठभूमि में अवैध निर्माणों को लेकर भी उच्च न्यायालय से ही यह उम्मीद है कि इन निर्माणों को लेकर अब तक सारी अदालतें जो फैसले दे चुकी हैं उनको सामने रखते हुए इन अवैधताओं को संशोधन के माध्यम से वैधता का जामा नही पहनने देंगी।

आज इन अवैधताओं पर यह चर्चा उठाने की आवश्यकता इसलिये है क्योंकि इस समय अदालत के रिकार्ड पर यह आ चुका है कि 8182 तो ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन्होंने निर्माण से पहले किसी भी तरह का कोई नक्शा आदि नहीं दे रखा है। इस तरह यह निर्माण पूरी तरह सिर से ही अवैध हैं। फिर भी इन्हें बिजली पानी आदि के कनेक्शन मिले हुए हैं जिसका अर्थ है कि इन निर्माणों में बांधित प्रशासन का पूरा-पूरा सहयोग रहा होगा। इसलिये इन निर्माणों के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कारवाई की जा सकती थी लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पायी है। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या यह सरकार अदालत और कानून का सम्मान भी करती है या नहीं। क्योंकि यदि सरकार अदालत के फैसले के अनुसार इन आठ हजार से अधिक अवैध निर्माणों के दोषियों के खिलाफ कारवाई करने के साथ कानून में संशोधन की बात करती तो सरकार की नीयत नीति की सराहना होती। परन्तु आज यह सन्देश जा रहा है कि सरकार अवैधताओं के आगे घुटने टेकती जा रही है। क्योंकि आज सत्तारूढ़ सरकार से जुड़े कबड़े नेताओं को खिलाफ अवैध निर्माण के गंभीर आरोप हैं। सोलन के पवन गुप्ता को तो इसी अवैध निर्माण के कारण नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा है। बहुत संभव है कि ऐसे लोगों के दबाव में यह संशोधन लाया जा रहा है। जबकि आज पूरा प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के मुहाने पर इन्हीं अवैधताओं के कारण खड़ा है। प्रदेश अब तक भूकंप के 120 ब्रटके ग्रेल चुका है। चम्बा 53.2%हमीरपुर 90.9% कांगड़ा 98.6% कुल्लू 53.1% और मण्डि 97.4% एम एस के 9 के क्षेत्र में आते हैं। केन्द्रीय आपदा अध्ययन इस ओर गंभीर चेतावनी दे चुके हैं इसलिये यह सरकार से ही अपेक्षा की जायेगी कि वह भविष्य के इस खतरों को गम्भीरता से लेते हुए राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाये।

आम बजट 2018-19 का सार

केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि सरकार विनिर्माण सेवाओं और निर्यातों के क्षेत्र में आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है। 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आने के संकेत दिए थे। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था ने बुनियादी सुधारों के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने हाल की अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया वर्ष के दौरान विकास दर 7.4 उन्हींने कहा कि प्रतिशत से अधिक विकास दर को पथ पर मजबूती से विनिर्माण क्षेत्र में तीव्रता के साथ आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च दर से वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2017-18 में निर्यात में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

जेटली ने कहा कि चार वर्ष पूर्व सरकार ने भारत के लोगों को एक ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था और एक ऐसे नेतृत्व का वादा किया था जो कठिन निर्णयों को कम करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अनेक बुनियादी संरचनात्मक सुधारों को न सिर्फ कार्यान्वित किया बल्कि देश में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन में गति लाने और एक मजबूत आत्मविश्वास से परिपूर्ण नवभारत देना का वचन दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों और समाज के अन्य तबकों के संरचनात्मक बदलाव एवं अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लाभ को उन तक पहुंचाने तथा देश के अल्प विकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विशेषकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से जोर दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वैद्य लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने को भी सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र विश्व का एक सबसे बड़ा संचालन और एक वैश्विक स्तर पर सफलता की गाथा भी है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की वचनबद्धता का उल्लेख करते हुए अनेक नई योजनाओं और उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अधोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुणा तय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि की है और यह राशि वर्ष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपये कर दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 में इस राशि को 11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया।

जेटली ने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंगल कोष स्थापित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने की घोषणा की। इन दोनों कोषों की कुल स्थाई निधि 10 हजार करोड़ रुपये होगी।

जेटली ने कहा कि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ करने का सरकार का प्रस्ताव

है। इसके प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि 86 प्रतिशत से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत किया जाएगा। जेटली ने कहा कि 22 हजार ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास के लिए दो हजार करोड़ रुपये की स्थाई निधि से एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष ई-नेम को सुदृढ़ करने और इसे 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की गई थी। इनमें से 470 को ई-नेम नेटवर्क से जोर दिया गया है शेष को 2018 तक जोड़ दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता के प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि बांस हरित सोना है। उन्होंने इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये के परियोजना के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव दिया।

वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना को देखते हुए 42 मेगाफूड पार्कों में अत्याधुनिक

परिक्षण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों को सहायता देने की एक विशेष योजना की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपये किया था। 2019 तक यह ऋण राशि बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये कर दी जाएगी। 2018-19 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए 5750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।

निम्न और मध्यम वर्ग के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। सोभाय योजना के अंतर्गत 16 हजार करोड़ रुपये के परियोजना से 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं। 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक एक करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत छह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। शेष पृष्ठ 5 पर.....

शुद्ध

आम बजट 2018-19 का सार

पृष्ठ 4 का शेष

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बजटीय व्ययों का अनुमान 2017-18 के 1.22 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 1.38 लाख करोड़ रुपये है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा 50 प्रतिशत से ज्यादा की अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य म डल आवासीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यावली कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए वर्ष 2018-19 में 9975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः मजबूत बनाने के लिए अगले चार वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता पहल के तहत श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष एक हजार उत्कृष्ट बीटैक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आईआईटी, आईआईएससी में पीएचडी करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्री ने 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष कवरेज प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की परिकल्पना के अनुसार 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को घर तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गंगा स्वच्छता के मामले में नमस्ते गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ रुपये की लागत से कुल 187 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 4465 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है।

मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार

मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत 10.38 करोड़ रुपये के मुद्रा लोन दिए गए। इनमें से 76 प्रतिशत ऋण स्वतंत्र महिलाओं के जबकि 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। 2018-19 के लिए मुद्रा के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार सृजन

रोजगार सृजन की प्राथमिकता सरकार की नीतियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं। वित्त मंत्री ने एक स्वतंत्र अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक रोजगारों का सृजन किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी क्षेत्रों के लिए ईपीएफ में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत का योगदान करेगी। 2018-19 में टैक्सटाइल क्षेत्र में 7148 करोड़ रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

बुनियादी ढांचा और वित्तीय क्षेत्र विकास

वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बताते हुए अनुमान लगाया कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और समूचे देश को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने 2018-19 में बुनियादी ढांचे पर 5.97 लाख करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नियमित तौर पर प्रगति के माध्यम से बुनियादी ढांचे में उपलब्धियों की समीक्षा की है और इसके तहत 9.46 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत करीब 35 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण को चरण एक में अनुमति दी जा चुकी है और इसकी अनुमानित लागत 5,35,000 करोड़ रुपये है।

रेलवे

वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपये रहा है। 2017-18 के दौरान चार हजार किलोमीटर का विद्युत रेलवे नेटवर्क प्रारंभ हो चुका है। मुंबई का स्थानीय रेल नेटवर्क 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से दोहरी लाइनों के साथ 90 किलोमीटर होगा। इसके अलावा 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त 150 किलोमीटर का उप शहरी नेटवर्क योजनावित्त किया जा रहा है।

हवाई परिवहन

एक नवीन पहल नाभ निर्माण के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए हवाई अड्डा क्षमता में पांच गुणा विस्तार करने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पिछले वर्ष प्रारंभ की गई उड़ान नामक क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत 56 हवाई अड्डे और 31 हेलीपैडों को पुनः जोड़ा जाएगा जिनमें अभी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं।

वित्त

बांड बाजार से कोषों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने नियामकों से निवेश वैधता के लिए एए से ए रेटिंग की ओर बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उत्पादन, डाटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक मिशन की शुरुआत करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 2018-19 में धन राशि आबंटन को दोगुना करके 3073 करोड़ रुपये किया गया है।

5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट का निर्माण करेगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया है।

रक्षा

वित्त मंत्री ने दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे के विकास का प्रस्ताव दिया है।

विनिवेश

वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 के लिए विनिवेश के लक्ष्य 72500 करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख रुपये होने की संभावना है। उन्होंने 2018-19 के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑरिएंटल इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का विलय करके एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी।

सोने के परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार एक समेकित स्वर्ण नीति का निर्माण करेगी। देश में स्वर्ण विनिमय को व्यापार और उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक प्रणाली विकसित करेगी। स्वर्ण मुद्राकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के स्वर्ण जमा योजना के खाते खुलवा सकें।

बजट में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपये और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपये प्रति महीने करने का प्रस्ताव किया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बजट में 150 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

वित्तीय प्रबंधन

बजट में परिव्यय का संशोधित अनुमान 2017-18 के लिए 21.57 लाख करोड़ रुपये है, जबकि बजट का आकलन 21.47 लाख करोड़ रुपये का था।

वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए बजट घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया। संशोधित वित्तीय घाटे का अनुमान वर्ष 2017-18 के लिए 5.95 लाख करोड़ रुपये का है, जो जीडीपी 3.5 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने तथा कर दायरा बढ़ाने से फायदा हुआ है। प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर 2016-17 में 12.6 प्रतिशत और 2017-18 में 18.7 प्रतिशत रही है।

कर दाताओं की संख्या जो 2014-15 में 6.47 करोड़ थी, बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए परिधान उद्योग में धारा 80 जेएएफ के अंतर्गत दी जाने वाली 30 प्रतिशत की कटौती को चमड़े तथा जूते उद्योग में भी लागू किया जाएगा।

कॉरपोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयास के तहत 250 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर वाले कंपनियों को 25 प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया है। इससे 99 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। इससे वित्त वर्ष 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

आयकर प्रदाताओं के लिए वर्तमान में परिवहन भत्ते तथा अन्य चिकित्सा व्यय की परिपूर्ति के बदले 40,000 रुपये की मानक कटौती का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को बड़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता आगे भी जारी रहेगा। इससे 2.5 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत

बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है तथा आयकर धारा 194ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने धारा 80डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपये से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपये से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपये का प्रस्ताव किया।

इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

टैक्स रियायतों के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपये की मौजूदा निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से आईएफएससी के लिए दो अन्य रियायतों का प्रस्ताव है। अनिवार्य भारतीयों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में रियायत की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एमटी) लगेगा, जो कॉरपोरेट पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के समान होगा।

दीर्घवधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी)

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए सूचीबद्ध शेयरों और यूनितों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपये है। जेटली ने कहा कि मैं एक लाख रुपये से अधिक के ऐसे दीर्घवधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांक के बिना 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए बजट में व्यक्तिगत आयकर तथा निगम कर पर 4 प्रतिशत अधिशेष की व्यवस्था की गई है। नये अधिशेष को स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के नाम से जाना जाएगा।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए 2016 में प्रयोग के आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया गया था। 2017 में इसका विस्तार 102 नगरों में किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में वस्तु और सेवा कर लागू होने के पश्चात यह पहला बजट है। बजट के प्रावधान सीमा शुल्क के संबंध में है। सीमा शुल्क में बदलाव से देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा खाद्य प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों का पुर्जा निर्माण, जूते तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा मोबाइल व टीवी के कलपुर्जों के लिए सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

काजू प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे काजू पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से एक सामाजिक कल्याण उपकर लगाया जाएगा। जिन आयातित वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट मिली हुई है, वह जारी रहेगी।

जीएसटी लागू होने के पश्चात केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड-सीबीसीसी का नाम बदलकर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड करने का प्रस्ताव किया गया है।

पसूका

पूर्व सरकार बदले की भावना से कार्य करती रही: मुख्यमंत्री

हमीरपुर / शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के नेता द्वारा मीडिया में जारी किए जा रहे वक्तव्यों पर दया आती है जिसमें वे वर्तमान सरकार के मात्र 44 दिनों के कार्यकाल से बहुत अधिक अपेक्षा कर रहे हैं। यही प्रश्न स्वतंत्रता के बाद 50 वर्षों से शासन करने वाली कांग्रेस से पूछें तो वे इसका आज भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। गत 50 वर्षों के शासन में कांग्रेस ने देश के सभी लोगों के हितों को नजरअंदाज किया और जाति, क्षेत्रवाद और धर्म की राजनीति कर लोगों को बांटने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है गत पांच वर्षों में हिमाचल सरकार बेसावधियों के सहारे चली है और इनकी राजनीति पूर्वाग्रहों से ग्रसित रही है। कांग्रेस के नेता इस दौरान कल्याण और विकासवादी कार्यों को समय न देकर अधिकतर समय कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने कहा कि चूने-हार और सेवानिवृत्त लोग कांग्रेस की सरकार को चला रहे थे, जिनका विकास से कोई सरोकार नहीं था। यह सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति की चापलूसी करते रहे और इसके इलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया।

ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए कुछ सेवाविस्तार पर होहल्ल कर रही है, परन्तु अपने कार्यकाल में उन्होंने हजारों लोगों को सेवाविस्तार दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए पटवारियों को सेवाविस्तार दिया है, ताकि लोगों को राजस्व संबंधी कागजात और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र बनवाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ये सेवाविस्तार अस्थायी है और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जैसे ही नया पत्र बनाए जाएगी उनकी तैनाती कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में गलत घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे स्थानों पर तहसील

खोलने की घोषणा की थी, जहां कानूनगो सर्कल की आवश्यकता थी। उन्होंने वहां पर नए उपमण्डलाधिकारी कार्यालय खोले जहां तहसीलों खोलने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि जहां उच्च या माध्यमिक पाठशालाओं की मांग की गई वहां सीधे तौर पर जमा दो स्कूल खोलने की घोषणा की। कांग्रेस के शासनकाल में



इस तरह की घोषणाएं करके असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक नहीं थे और स्कूलों में पर्याप्त स्टॉफ और अध्यापक भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल तो ऐसे थे जहां दो छात्रों के लिए पांच या अधिक अध्यापक थे। कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री के कार्यालय में किराए पर लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों का शासन था। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस हाल ही में हुए चुनावों में अपनी हार को नहीं पचा पा रही है और निराशा में गलत वक्तव्य प्रेस को जारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये दुवदायी है कि वर्ष 2011 से कोई भी मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में नहीं आया और कांग्रेस ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कल्याण और विकास नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की तरह बिना किसी बजट प्रावधान के कोई घोषणा, लोकार्पण व शिलान्यास नहीं करेगी।

उन्होंने प्रदेश में खनन माफिया, वन माफिया, द्रुग माफिया के खतमे के लिए अपनी सरकार का संकल्प दोहराया

और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1515 गुडिया हैल्पलाइन और शक्तिबटन एप्स शुरू करने के साथ-साथ होशियार सिंह हैल्पलाइन 1090 आरम्भ की गई है, ताकि प्रदेश में महिलाओं का कल्याण व सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व

सरकार प्रदेश के लिए 46,500 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा छोड़कर गई है, फिर भी उन्हें यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस वित्तीय घाटे से उभरने के लिए प्रदेश की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने मान नाले पर 6.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 170 मीटर पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली मंझियार-सेरा-पखरोल उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को वर्षाव विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के दौरान सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 30 जल भण्डारन टैंकों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत व्यास नदी से पानी उठाया जाएगा तथा इस क्षेत्र के 24 गांव के लोगों की एक हजार हैक्टर क्षेत्र भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने राकौय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर के 89 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त भवन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांगू के 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित भवन

का लोकार्पण किया। तत्पश्चात् उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुग्ध नाला के ऊपर 54 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांगू में 24 घण्टे इंडोर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मान नाला के ऊपर हथोल में बथारन-कवालपाथर सम्यक् मार्ग पर पुल के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कृष्ण खड पर पुल बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भटारन और चौर में आगामी शैक्षणिक सत्र से विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की, बसते वे अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करती हों। उन्होंने शिमला-गलोड मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम की बस को घनेटा तक चलाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भटारन-घोलन-मंजोली को समायोजित कर पटवारवुत घोलन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू में विज्ञान की कक्षाएं पढ़ाने के लिए अतिरिक्त खण्ड के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की।

सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस क्षेत्र में सड़क की दयनीय स्थिति है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्होंने गत 10 वर्षों में जिला की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी सांसद निधि से काफी योगदान दिया है, परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर लम्बे ऊना-हमीरपुर रेल लाइन का सर्वे बहुत पहले किया जा चुका था, परन्तु उस समय भी कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी। आज, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसके लिए 102 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और 8 करोड़ रुपये की राशि तो जारी भी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करना चाहती है तथा ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेललाइन के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक इसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि वे अपनी सांसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में शूटिंग रेंज खोलने को तैयार हैं तथा उन्होंने स्कूलों में शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 10 से 19 वर्ष की आयुवर्ग की सभी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में महिला मण्डलों से पूर्ण सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसका पूरा खर्चा सांसद निधि द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में सड़कों के बेहतर रख-रखाव का भी आग्रह किया।

पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों की सड़कों के बेहतर रख-रखाव का भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार जब-जब सत्ता में आई, उसने जिले की अन्दरूनी की। मुख्यमंत्री का पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मण्डलों तथा युवक मण्डल के प्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया। स्थानीय पंचायत प्रधान अश्वनी चन्द कटोच ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा क्षेत्र की भिन्न मांगों बारे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांगू को स्ट्रोन्ग करने का भी आग्रह किया।

टप्पा-खोला के प्रभात चौधरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,01,000 रुपये का अंशदान किया।

राजनीतिक प्रतिशोध से दर्ज मामले वापिस लिए जायेंगे : मुख्यमंत्री

हमीरपुर / शैल। हमीरपुर के गांधी चौक में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने उनके साथ मंच सांझा किया, का प्रदेश में हुए व्यापक विकास के लिए प्रो. धूमल की सराहना की तथा कहा कि इसके लिए उन्हें सड़क वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था।

उन्होंने कहा कि प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए सराहनीय कार्य किया है और सरकार को भविष्य में भी उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी, हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रो. प्रेम कुमार धूमल विधानसभा में हमारे साथ नहीं हैं लेकिन वे हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सुचारु संचालन के लिए प्रो. प्रेम कुमार धूमल के सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपने आपसी मतभेद दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा हमसे हिसाब मांगने की किन्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर कांग्रेस को उनकी जमीन दिखाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध राजनीतिक द्वेष से दर्ज मामलों को वापिस

लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में भाजपा सरकार सुदृढ़ हो रही है, हमें विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा चारों संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी वित्तीय प्रावधानों के कांग्रेस सरकार ने लोक निर्माण के सात मण्डल खोले।

उन्होंने जानना चाहा कि क्या एक लाख रुपये की लागत से कोई कॉलेज चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने केवल एक लाख रुपये का प्रावधान कर कॉलेजों की घोषणा कर शिक्षा प्रणाली का मजाक बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, जिससे अधिक से अधिक वृद्धजन लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेसहारा पशुओं को लिए ग्रामिणश्रमश्रम उप समिति के गठन का निर्णय लिया है जो प्रत्येक जिले में गौसदन की स्थापना के लिए स्थान का चयन भी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बंदों की समस्या से निजाद दिलाने के लिए भी वचनबद्ध है तथा इसके लिए शीघ्र ही कोई योजना बनाई जाएगी।

‘उड़ें देश का आम नागरिक’ योजना

(उड़ान) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश का आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सकेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत सभी 69 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च के अन्त तक तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने केवल सात राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए परामर्शी सेवाएं आरम्भ की थी तथा उन्हें भी अधूरा छोड़ गया क्योंकि उन्हें डर था कि इसका श्रेय कहीं एनडीए सरकार को न मिल जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा हमीरपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद शीघ्र भरे जायेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से कक्षाएं आरम्भ करने की प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के समीप केन्द्र कांगू को पूरा करने के लिए हरसंभव सहयोग का भी आश्वासन दिया तथा बस अड्डे का निर्माण शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के कार्यालय को शिमला स्थानान्तरित करने का मामला उचित स्तर पर उठाकर सुलझाने की आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार

पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद हमीरपुर में कन्या महाविद्यालय खोलने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा की सड़कों का रख-रखाव प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने सूखा जैसी स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है तथा इनके पद भरने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की वन स्वीकृतियों की सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस क्षेत्रीय अस्पताल में इस शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं आरम्भ करने और मेडिकल कॉलेज भवन की आधारशिला रखने का भी आग्रह किया।

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समान विकास की डींगें हांकती है, परन्तु सच्चाई यह है कि विकास के मामलों में जिला हमीरपुर की सबसे अधिक अन्दरूनी की

गई है। सड़कों की दयनीय स्थिति कांग्रेस के विकास के दावों को बूझा साबित करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई थीं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त की आयु को घटाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कीचड़ उछालने में माहिर हैं और यह भूल जाते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है।

हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर व अन्य उपस्थित लोगों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में हुए विकास का श्रेय पहले स्व. श्री जगदेव चन्द ठाकुर को तथा बाद प्रो. प्रेम कुमार धूमल को। उन्होंने सूखा जैसी स्थितियों में जिला की पेजयल योजनाओं के संवर्द्धन एवं सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का आग्रह किया। उन्होंने पार्किंग के कार्य को पूरा करने तथा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को शीघ्र आरम्भ करने का आग्रह किया। विधायक विजय अग्निहोत्री और कमलेश कुमार, पूर्व विधायक अनिल धीमान, भाजपा खण्ड अध्यक्ष बलदेव घीमान अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

जल विद्युत नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही राज्य सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जल विद्युत डेवलपर्स और उत्पादकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा उत्पादकों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी शिकायतों को सुना जाएगा तथा इनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल विद्युत उत्पादन न केवल आर्थिकी की रीढ़ है बल्कि रोजगार सृजन में भी मददगार है। हालांकि पहले जल विद्युत क्षेत्र में कम प्रगति हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रुक सी गई है। उन्होंने कहा कि छोटे जल विद्युत उत्पादकों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है ताकि राज्य के लिए इन ऊर्जा उत्पादकों द्वारा चिन्हित लगभग तीन हजार मैगावाट की ऊर्जा क्षमता का दोहन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लम्बित पड़े मामलों के समाधान के लिये प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि प्रदेश में चिन्हित कुल 27,400 मैगावाट जल विद्युत क्षमता दोहन किया जा सके। अभी तक केवल 10,519 मैगावाट का ही उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल विद्युत नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि पहले चरण में स्वीकृतियां संबंधित सभी विभागों द्वारा लगभग एक माह के भीतर बिना किसी विलम्ब के दी जानी चाहिए। दूसरे, टैरिफ से संबंधित मुद्दों को हल किया जाना चाहिए और अगले चरण में योजना के आरम्भ होने से पूर्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टैरिफ मुद्दे पर नियामक के साथ चर्चा की जा सकती है और वाणिज्यिक कमीशन की तिथि से टैरिफ उपयुक्त का पता लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्वीकृति, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा सम्बद्ध विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

बहुदेशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार निश्चित रूप से चर्चा में तय किए मुद्दों

के समाधान के लिए तत्काल उपाय करेगी ताकि स्वीकृतियों संबंधी प्रक्रिया, टैरिफ तथा रॉयल्टी मुद्दों का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि जल विद्युत



नीति में बदलाव करने के प्रयास किए जायेंगे।

हिमालय ऊर्जा उत्पादक संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार तथा बोना - फाईड हिमाचल ऊर्जा डेवलपर्स संघ के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने हिमालय ऊर्जा उत्पादक संघ के मुख्य संरक्षक आर.के.वर्मा के साथ पिछले दस वर्षों से लम्बित मामलों तथा ऊर्जा उत्पादन में आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में अन्य राज्यों की तुलना में रॉयल्टी की दरें काफी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में रॉयल्टी दर 1.5 रुपये प्रति यूनिट, उत्तराखण्ड में 15 वर्षों तक शून्य और 16वें वर्ष के बाद 18 प्रतिशत, जम्मू व कश्मीर में ये दरें पहले 15 वर्षों के लिए शून्य और इसके उपरान्त 16वें वर्ष से 12 प्रतिशत हैं। हिमाचल प्रदेश में रॉयल्टी दर पहले 12 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत और अगले 18 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत और इसके पश्चात् शेष 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत हैं जो काफी अधिक है और परियोजनाओं को आर्थिक रूप से अलाभकारी बना रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में दरों में सराहनीय कमी के निर्णय के कारण टैरिफ दरें बहुत कम हैं, जो 2.98 रुपये प्रति यूनिट है जबकि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 5.07 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ दर निर्धारित की है। पंजाब और उत्तराखण्ड में यह टैरिफ दर क्रमशः 4.04 रुपये तथा 4.69 रुपये है।

उन्होंने विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त

करने के लिए जटिल प्रक्रिया तथा बहुत अधिक ओपन एक्सेस शुल्क के संबंध में भी अपनी शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अन्य राज्यों

की तुलना में यह 1.39 रुपये प्रति यूनिट है, जो बहुत अधिक है। पंजाब में यह शुल्क 0.57 रुपये और उत्तराखण्ड में 0.69 रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने कहा कि टैरिफ दर परियोजना की व्यावसायिक संचालन तिथियों से सम्बद्ध नहीं है और इसके अलावा ट्रांसमिशन शुल्क भी बहुत अधिक है। उन्होंने ऋण भुगतान की तिथि से 13 वर्षों के लिए बिजली खरीद समझौते की अनुमति देने का आग्रह किया और इसके बाद आपसी समझौते के आधार पर इसे जारी रखने अथवा समाप्त करने की सुविधा प्रदान करने को कहा ताकि इससे दोनों पक्षों के लिए सुविधा हो सके। यदि इस छूट अथवा सुझावों को क्रियान्वित किया जाता है तो सड़कों, पेल रस्तों व पुलों के अधीसंरचना विकास के अलावा युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान 1,68,464 रोजगार के अवसर सृजित होने के अलावा 14 हजार स्थाई नौकरियां भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के माध्यम से लगभग 3625 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त होगा।

पूर्व विधायक दुल्लो राम, अतिरिक्त मुख्य सचिव वृत्त अ. श्रीकांत बाली, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी.धामन, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा उत्पादक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.एन. कपूर, बोना-फाईड हिमाचल पावर डेवलपर्स संघ के सलाहकार बी.एच. खन्ना और कमल पाध्या सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने शाल टोपी भेंट कर जयराम ठाकुर को किया सम्मानित

हमीरपुर/शैल। अमतर क्रिकेट ग्राउण्ड में पहुंचने पर जिला भाजपा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने जयराम ठाकुर के बतौर मुख्यमंत्री हमीरपुर के प्रथम आगमन पर स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने जयराम ठाकुर को शाल टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री महिंद्र ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

मंत्री वीरेंद्र कवर, जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर,



कमलेश कुमार, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, प्यारे आदि सहित जिला भाजपा पदाधिकारी, महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

हिमाचल पुलिस ने की 100 दिनों के एक्शन प्लान पर कठोर कार्यवाही शुरू

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 100 दिनों के एक्शन प्लान के अन्तर्गत मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने, खनन माफिया व वन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त निर्णय के अनुरूप पिछले 3 सप्ताह की अवधि में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 130 व्यक्तियों, जिनमें 9 नेपाली भी शामिल हैं, के विरुद्ध 105 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। जिनसे 48.551 किलोग्राम चरस, 516 ग्राम अफीम, 115.62 किलोग्राम चूरा पोस्त, 55.868 किलोग्राम गांजा, 114 ग्राम हेरोइन, 19 ग्राम कोकीन, 5500 नशीली गोलीयां, 12098 नशीले कैप्सूल, 15 बोटलें नशीले पेय (Syrup) व 55 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं।

उपरोक्त अवधि में खनन माफिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा खनन अधिनियम (Mining Act.) के अंतर्गत 415 चालान किए गए हैं, जिनमें से पुलिस द्वारा 312 चालानों को कम्पाउंड करके 23,49,801/- रुपये की राशि दोषियों से जुर्माने के तौर पर प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त माननीय अदालतों द्वारा दोषियों को 1,53,801/- रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर अदा

करने के आदेश पारित किए गए हैं। 100 दिनों के एक्शन प्लान के अंतर्गत 3 सप्ताह की अवधि में पुलिस विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के 244 चालान किए गए हैं। बिना हैलमेट के दुपहिया वाहन चलाने के लिए 9323 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान किए गए हैं। तेज रतार व लापरवाही से गाड़ी चलाने के 679 चालान किए गए हैं, गाड़ी चलते हुए मोबाईल फोन सुनने के कुल 799 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है व बिना सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाने के बारे में 5254 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।

इस के अतिरिक्त तीन सप्ताह की अवधि में आम लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए 2545 स्थानों पर यातायात जागरूकता नाके लगाये गए।

वन माफिया के विरुद्ध उपरोक्त 3 सप्ताह की अवधि में 36 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिसमें 82.43 लाख रुपये की वन संपदा सिलित है। इन अभियोगों में अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है व 44.66 लाख रुपये की संपत्ति को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है।

गुड्डिया हैल्पलाइन के अंतर्गत 43 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 23 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा शेष 20 शिकायतों में कार्यवाही की जा रही है।

स्वयं सेवी संगठन एवं एनजीओ की सूची प्रस्तुत करें समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास परियोजना के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को उनके जिले से संबंधित ऐसे स्वयं सेवी तथा गैर सरकारी संगठनों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं तथा सोसायटी अधिनियम - 2006 के तहत पंजीकृत हों ताकि राज्य महिला आयोग के साथ उनका पंजीकरण किया जा सके।

प्रवक्ता ने कहा कि इच्छुक स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण कम से कम तीन वर्षों के लिए, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं पंजीकरण अधिनियम - 2006 के तहत

होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये संगठन महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण आदि के कार्यों में संलग्न होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संगठनों का गत तीन वर्षों से ऑडिट किया हुआ साफ-सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए।

उन्होंने समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यक्रम अधिकारियों को इन संगठनों की गतिविधियों की सक्षिप्त सूची, गैर सरकारी संगठनों का संविधान, सभा पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगठनों के प्रधान एवं सचिव का नाम उनके दूरभाष नम्बरों सहित, तीन ऑडिट सूचियां, जहां ये संगठन राज्य कार्यशील हैं वहां के पुलिस से स्वच्छ छवि प्रमाण पत्र महिला आयोग के सदस्य सचिव शिमला-1 को प्रस्तुत करने को कहा गया गया है।

जेपी नड्डा ने राज्य के सम्पूर्ण विकास हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया

नई दिल्ली। जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश से पहली बार निर्वाचित सभी विधायकों से मुलाकात की और क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में चर्चा की। डॉ. राजीव बिंदल, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा और हंसराज, उपाध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे। राजीव बिंदल ने 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत अद्वितीयावर्षीय स्वस्थ सुरक्षा योजना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सम्बन्धी बजट के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की। जेपी नड्डा ने सभी विधायकों को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाओं एवं सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को मिल कर

राज्य की प्रगति और सम्पन्नता के लिए अपना योगदान देना है। जेपी नड्डा ने पहली बार निर्वाचित विधायकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' की मूल भावनाओं के साथ विकास कर रही है और इसका लक्ष्य ससाशन लाकर

हमीरपुर ऊना रेल लाइन अनुराग ठाकुर की देन

हमीरपुर/शैल। केन्द्रीय बजट में इस बार हमीरपुर ऊना रेल लाइन के काम के लिए मिले 102 करोड़ रुपये सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों का परिणाम है। हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर एवं भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने हमीरपुर ऊना रेल लाइन को अनुराग ठाकुर की देन बताते हुए उनका धन्यवाद किया है और कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार बनते ही न केवल नंगल तलवाड़ा रेल लाइन का

समस्त जनमानस का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। नड्डा ने बीजेपी द्वारा राज्य के लिए चलायी जा रही विकास परव योजनाओं की रूप रेखा दी और उन्होंने पर्यटन के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया।

काम तीव्रता से आगे बढ़ बल्कि अनुराग ठाकुर ने केंद्र से हमीरपुर ऊना रेल लाइन को 2850 करोड़ रूपए मंजूर करवाये। इस रेल लाइन का प्रारम्भिक सर्वे भी मात्र दो वर्षों के रिकॉर्ड समय में पूरा करवाया। भाजपा विधायकों ने कहा कि हमीरपुर ऊना रेल लाइन का काम शुरू होने से पूर्व की प्रारम्भिक प्रक्रियाएं अंतिम संवर्धणों का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है और बहुत जल्दी रेल लाइन का काम शुरू हो जाएगा।

धूमल के क्रशम मामले सुलटाने में मन् जयराम सरकार, कांगड़ा में दूसरा गुडिया कांड लाश संग चक्काजाम

शिमला/शैल। जिला कांगड़ा के ज्वाली के समीप जोल के जंगल में एक बीस साल की युवती की हत्या कर देने के मामले में बेशक पुलिस ने रिश्ते में युवती के मामा को गिरफ्तार किया है लेकिन पांच फरवरी से लापता इस युवती को ढूँढने में पुलिस के नाकाम रहने से प्रदेश की जयराम सरकार

न्याय मिलेगा। लेकिन पुलिस जांच पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठा दिया और युवती की लाश के साथ छतड़ी में एनएच पर जाम लगा दिया। लोगों ने यहां एसपी से सवाल किया कि क्या पिछले चार मामलों की तरह ही इस मामले का भी हथ्र होगा।

ये साफ करता है कि जयराम सरकार के करीब डेढ़ महीनों का

मिली थी। पुलिस ने युवती के चाची के 37 साल के भाई को गिरफ्तार किया। बीस की यह युवती निजी संस्थान से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी।

उधर, इस मामले में कई लोगों के शामिल होने के अंदेश और कोटली पुलिस की ओर से युवती के परिजनों से दुर्व्यवहार

कपड़े नहीं थे। इससे अंदेश है कि इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ हो। बहरहाल, पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डीएसपी ज्वाली बीर बहादुर सिंह ने कहा कि युवती का कल्ल पांच फरवरी को ही हो गया था। जिसे पकड़ा गया है वह मिस्री का काम करता है। इन दोनों के बीच किसी तरह के प्रेम

के साथ दुर्व्यवहार करने का इलजाम लगाया है।

चक्का जाम करने की जानकारी मिलने पर एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल पूरा अमला लेकर खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को भरोसा दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद लोगों ने चक्का जाम उठाया। लोगों में इस



करने से खफा स्थानीय लोगों ने लाश के साथ छतड़ी में चक्का जाम किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने लाश को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख दिया और सारा यातायात बंद कर दिया।



सवालों में हैं। इसके अलावा इस सवेदनशील मामले में जयराम सरकार की पुलिस की ओर से युवती के परिजनों के साथ अपनाया गया रवैया साबित करता है कि बेशक प्रदेश में मुख्यमंत्री और डीजीपी के चेहरे बदल गए हैं लेकिन पुलिस का असली चेहरा अभी बरकरार है। बहरहाल, इस युवती के साथ दरिदगी हुई है या नहीं यह पुलिस खबर लिखे जाने तक नहीं बता रही है। रेप या गैंगरेप हुआ ये भी वह नहीं बता पा रही है। पोस्टमार्टम रपट का इंतजार है।

जयराम ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि इस युवती को

शासन पुलिस पर जनता का भरोसा कायम नहीं कर पाया है। जयराम सरकार की यह सबसे बड़ी विफलता है। जयराम सरकार ने बेशक गुडिया हेल्ललाइन का टिंटोरा पीटा हो लेकिन पुलिस के नजरिए में बदलाव के लिए कुछ नहीं किया। विशेषज्ञ कहते भी हैं कि हेल्ललाइन से कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस का चेहरा व तौर तरीका बदलने पड़ेगा। जयराम सरकार ने अभी धूमल व बाकियों के भ्रष्टाचार के मामले में वापस लेने में मग्न हैं।

यह है मामला

बीते रोज इस बीस साल की युवती की लाश अर्धननावस्था में ज्वाली पुलिस के तहत जोल के जंगलों में

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कोटखाई में पिछले साल हुए गुडिया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसा की मामला है।

पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को इस युवती की चाची का भाई बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 37 साल के तीन बच्चों के पिता ने हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस इस मामले में दुष्कर्म के अंदेश से इंकार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि युवती के शरीर के निचले हिस्से पर

संबंधों से उन्होंने इंकार किया व कहा कि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है। चूँकि दोनों रिश्तेदार थे तो आपसी बातचीत तो होती ही थी।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। कॉल डिटेल का विवरण लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, चक्का जाम कर रहे लोगों का इलजाम है कि इस हत्याकांड में एक ही व्यक्ति नहीं कई लोग शामिल हैं। ऐसे में सभी दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। इसके अलावा आंदोलन पर उतरे लोगों ने कोटला पुलिस पर युवती के परिजनों

हत्याकांड के बाद भारी रोष है। लोगों ने मौके पर कहा कि कांगड़ा में इससे पहले ऐसे ही चार मामले हो चुके हैं, क्या इस मामले का हथ्र भी ऐसा ही होगा। एसपी ने लोगों से कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत और जानकारी है तो वह उन्हें सुझाए। लोगों ने कहा कि हत्याकांड में एक ही व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। इस पर एसपी ने कहा कि जितने भी हथ्र हो सकें सबको पकड़ा जाएगा। उन्होंने युवती के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कोटला पुलिस के कार्यों के खिलाफ मौके पर जांच करने के आदेश दे दिए।

स्टिंग ऑपरेशन कर डाक्टर व महिला दलाल काबू

हमीरपुर/शैल। कोख में कन्या भ्रूण के कल्ल की साजिश रचने वाले एक 'अधर्मी' डॉक्टर के नाम से श्याम बिहारी और वैद्य हरी राम मेमोरीयल अस्पताल में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। हमीरपुर पुलिस व जिला प्रशासन ने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत घुमारवी में यह कार्रवाई की है। इस मामले में शिकायतकर्ता एक महिला हमीरपुर जिला से सम्बंधित है। धर्मार्थ चिकित्सालय में 'अधर्म' करते रंगे हाथ दबोचे गए कथित डॉक्टर श्याम बिहारी पुत्र हरी राम के नाम से पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ पहले सोची समझी कार्रवाई की रणनीति बनायी गई। इसमें पुलिस सब इन्स्पेक्टर पूजा ने शिकायतकर्ता महिला की भाभी के रूप में बिचौलियों तक पहुँच बनाई। इस शिकंजे में सुषमा नामक एक

महिला बिचौलिया ट्रैप में फँस गयी। भ्रूण जाँच की फीस व रिजल्ट बारे हुई बातचीत को सब इन्स्पेक्टर पूजा



ने हिडन कैमरों में कैद कर लिया। सारी कार्रवाई एसपी रमण कुमार सीना, जिलाधीश राकेश कुमार प्रजापति, डीएसपी रेणु शर्मा व सब इन्स्पेक्टर पूजा ने सीएमओ सावित्री कटवाल की देखरेख में पूरी की। इसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन, प्रिंटर और रिकार्ड

कर जप्त कर लिया। इस बारे में एसपी रमण कुमार सीना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि

बताया कि भ्रूण परीक्षण कर रहे चिकित्सक श्याम बिहारी व एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चिकित्सक के सेंटर से एक सोनोग्राफी मशीन को सीज किया गया है।

जिलाधीश राकेश कुमार प्रजापति ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमीरपुर की दलाल सुषमा ने शिकायतकर्ता महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के परीक्षण के लिए 18 हजार रुपए में सौदा तय किया था। पीसीपीएनडीटी टीम ने मुखबिर व सहयोगी के साथ महिला को घुमारवी निजी अस्पताल में भेजा। जहां से दलाल सुषमा शर्मा शिकायतकर्ता महिला को अपने साथ अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर पर ले गई। जहाँ बिना दस्तावेजों और फार्म भरवाए करीब

दो घंटे बाद सेंटर के संचालक आरोपी श्याम बिहारी ने जाँच के बारे में बता दिया। महिला की ओर से टीम को इशारा किया गया। इशारा मिलते ही पीसीपीएनडीटी की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सोनोग्राफी मशीन को जप्त कर लिया।

जाँच में सामने आया है कि 64 वर्षीय श्याम बिहारी पिछले कई साल से गर्भवती महिलाओं का भ्रूण परीक्षण करता था। यह भी सामने आया कि प्रति जाँच के 15 से 20 हजार रुपए स्वयं लेता था बाकी की राशि दलालों को दी जाती थी। पिछले दिनों में प्रदेश में पीसीपीएनडीटी टीम की सख्ती होने के बाद श्याम बिहारी ने चालाकी शुरू कर दी थी। वह सीधे तौर पर भ्रूण परीक्षण के लिए तैयार नहीं होता था। अपने भरोसेमंद दलालों के माध्यम से ही गर्भवती महिला का भ्रूण परीक्षण करता था।